राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2017 जयपुर, दिनांकः 04.05.2018

आवंटन आदेश माह जून, 2018
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)

अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आवंटन आदेश क्रमांक 1–8/2013–बी.पी.–III दिनांक 26.09.2013 के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों (अन्त्योदय परिवारों सहित) हेतु माह जून, 2018 हेतु गेहूँ का जिलेवार उप आवंटन संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार किया जाता है। उक्त आवंटन के उचित मूल्य दुकानवार उप आवंटन एवं उठाव के दौरान निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सभी पात्र लाभार्थियों/परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना अनिवार्य है। खाद्य विभाग द्वारा जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत "अन्त्योदय एवं अन्य पात्र" परिवारों/लाभार्थियों की विभागीय पोर्टल पर दिनांक 02.05.2018 की अद्यतन संख्या के आधार पर माह जून, 2018 का आवंटन, ऑफलाइन वितरण वाली दुकानों को सम्मिलित करते हुए, एतद्द्वारा जिलेवार किया जाता है।

2. जिले को आवंटित कुल खाद्यान्न मात्रा में से आवश्यकता अनुसार उचित मूल्य दुकानों को उप–आवंटन का अधिकार जिला रसद अधिकारी को होगा। उचित मूल्य दुकानदार को किये गये आवंटन की प्रविष्टियाँ दिनांक 12.05.2018 तक आवश्यक रूप से विभागीय पोर्टल पर करें।

3. जिला रसद अधिकारी द्वारा उचित मूल्य दुकानवार उप–आवंटन चार श्रेणियों में पृथक्–पृथक् पूर्व में जारी प्रपत्रानुसार किया जावेगा।

4. संभागीय जिला मुख्यालय हेतु आवंटित मात्रा का सम्बंधित जिला रसद अधिकारी (शहर) एवं जिला रसद अधिकारी (ग्रामीण) समन्वय स्थापित कर जिला कलक्टर की अनुशंषा के आधार पर उठाव एवं वितरण कराया जाना सुनिश्चित करें।

5. जिलेवार खाद्यान्न का आवंटन जिले की कुल ऑफ लाइन दुकानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए किया गया है। इस हेतु कोई भी अतिरिक्त आवंटन देय नहीं होगा।

6. **जिला बांसवाड़ा, बीकानेर, सिरोही, चित्तौडगढ़, डुंगरपुर, जोधपुर द्वारा गत 3 माह से प्रति माह खाद्यान्न मात्रा समर्पित कर उठाव किया जा रहा है। अतः जिलेवार गत 3 माह की कुल समर्पित मात्रा का औसत/मई माह में समर्पित मात्रा, जो भी कम हो, को घटाते हुए वास्तविक आवश्यकतानुसार खाद्यान्न आवंटन किया जा रहा है। शेष सभी जिलों को खाद्यान्न आवंटन निर्धारित अन्त्योदय एवं अन्य पात्र परिवार हेतु पात्रता अनुसार किया जा रहा है।** जिलों द्वारा उठाव उचित मूल्य दुकानवार स्टॉक की भौतिक उपलब्धता के आधार पर आवश्यकतानुसार किया जाकर शेष मात्रा समर्पित किए जाने का विकल्प होगा। जिला रसद अधिकारी का दायित्व होगा कि उचित मूल्य दुकानवार जून माह हेतु वांछित आवंटन मात्रा अनुसार उठाव करें।

7. जून माह के आवंटन के दौरान 100 क्विं0 से अधिक एवं 50 से 100 क्विं0 की श्रेणी वाली दुकानों (विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध) हेतु आवंटन सावधानी पूर्वक करें तथा उक्त दुकानों पर उपलब्ध वितरण से शेष गेहूँ को जून माह के आवंटन में समायोजित करें।

8. समर्पित गेहूँ की मात्रा का विवरण उचित मूल्य दुकानवार संधारित करावें ताकि आवश्यकतानुसार समर्पित मात्रा को आगामी माह में समायोजित किया जा सके। समर्पित मात्रा की प्रतिलिपि उपायुक्त (द्वितीय), प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि0, जयपुर एवं तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी, जयपुर को भी भिजवायें।

इस विभाग द्वारा गेहूं उठाव बाबत जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26.07.2014 अनुसार माह जून, 2018 तक का **उठाव उसके पूर्व माह की अंतिम तिथि तक किया जाना सुनिश्चित करें।**

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी ।

<u>संलग्नः— उपरोक्तानुसार</u>

04/05/18

(अंजू राजपाल)
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2017 जयपुर, दिनांकः 04.05.2018
प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त, जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि0, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, (क्षेत्र) क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, 4 नेहरू प्लेस, टोंक रोड जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी, जयपुर।
8. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत माह जून, 2018 हेतु आवंटित गेंहू की मात्रा की निर्धारित अवधि में राशि जमा कराकर उठाव सुनिश्चित् करावें। **गेहूं उठाव की निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात बिना किसी ठोस वजह के गेहूं उठाव एवं राशि जमा कराने की वैधता अवधि का विस्तार नही किया जायेगा।**
9. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग इस आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
10. रक्षा पत्रिका।

04/05/18
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

३

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों (अन्त्योदय परिवार एवं अन्य पात्र लाभार्थी) हेतु जिलेवार आवंटन माह जून, 2018

क्र.सं.	नाम जिला	प्रतिमाह आवंटित मात्रा (मै.टन मे)
1	अजमेर	8427
2	अलवर	13028
3	बांसवाड़ा	8182
4	बारां	5503
5	बाड़मेर	9771
6	भरतपुर	8262
7	भीलवाड़ा	8095
8	बीकानेर	6265
9	बूंदी	3593
10	चित्तौड़गढ़	5128
11	चूरू	7120
12	दौसा	5781
13	धौलपुर	4348
14	डूंगरपुर	6997
15	श्रीगंगानगर	5790
16	हनुमानगढ़	5094
17	जयपुर	14764
18	जैसलमेर	2190
19	जालौर	6237
20	झालावाड़	5656
21	झुंझुनू	5638
22	जोधपुर	9443
23	करौली	5296
24	कोटा	5085
25	नागौर	11496
26	पाली	6981
27	प्रतापगढ़	4037
28	राजसमंद	4425
29	सवाईमाधोपुर	4495
30	सीकर	8834
31	सिरोही	3557
32	टोंक	5048
33	उदयपुर	13657
योग		**228223**

04/05/18

अंजू राजपाल
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव